उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,
संख्या-87 /2015/3837/92-1-2016/89आरईएस/93,
लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-आदेश

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह (श्री एस0बी0 सिंह) सहायक अभियन्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-997(एस0बी0)/2014 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-7-2014 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

The writ petition is disposed of with a direction to the respondent no. 1 to take a final decision in the matter in accordance with law within two months from the date a certified copy of this order along with a copy of the said representation is filed before him. It is made clear that the Court has not adjudicated upon the claim on merits."

We find that the petitioner would also be entitled for consideration of his grievance regarding pay protection in light of the fact that other persons have been considered and granted the pay protection.

In view of the aforesaid circumstances, we dispose of the writ petition in terms of order dated 9.4.2009 passed by Division Bench of this Court in Writ Petition No. 19336 of 2009 [Ashok Kumar Gupta Vs. State of U.P. and others] quoted herein above.

The respondent no.1 therefore should take a decision on the representation of the petitioner within two months from the date a certified copy of this order is produced before him in accordance with law.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16-7-2014 के क्रम में याची द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को अपना प्रत्यावेदन दिनांक 23-9-2015 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा पूर्व में वेतन संरक्षण हेतु दिनांक 12-9-2014 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-997(एस0बी0)/2014 में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को भी प्रतिपक्षी बनाये जाने के कारण श्री एस0बी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए वित्त विभाग द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या-जी-2-131/दस-2016, दिनांक 08 अगस्त, 2016 द्वारा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया। वित्त विभाग के उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 08 अगस्त, 2016 के प्रस्तर-4 में प्रशासकीय विभाग को निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

"ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग इस बात की पुष्टि के उपरान्त कि याची का जो संशोधित अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत हुआ है, उसमें उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान, जो दिनांक 01-1-1986 से अनुमन्य किया गया बताया गया है वह सक्षम स्तर के आदेश/अनुमोदन से अनुमन्य हुआ है तथा उसमें नियमानुसार देय वेतनमान में प्राप्त हो रहा वेतन स्तर सक्षम स्तर के अनुमोदन से दिया गया है, याची के वेतन संरक्षण पर अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि याची का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जिन आधारों पर संशोधित हुआ वह सक्षम आदेशों के अन्तर्गत होना चाहिए।"

3- वित्त विभाग के उक्त निर्देशों के क्रम में याची के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 10-11-2016 द्वारा संगत अभिलेख उपलब्ध कराया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-749/49-3-2014-74-2014, दिनांक 13-6-2014 द्वारा याची श्री एस0बी0 सिंह के अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित अभिलेख भी उपलब्ध कराया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह उल्लेखनीय है कि श्री एस0बी0 सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका-997(एसबी)/2014 योजित है, जिसमें पारित आदेश के क्रम में याची को परिसमापित विश्व बैंक परियोजना में नियमानुसार प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ अनुमन्य कराया जाना है। विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के सहायक अभियन्ता पद के पदधारक (याची) को कार्यालय ज्ञाप संख्या-3219/62-3-98-89आरईएस/93, दिनांक 06-08-1998 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में नियुक्ति की तिथि दिनांक 12-01-1994 से सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर समायोजित करते हुए नियमित नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आदेश में यह भी इंगित किया गया है कि उक्त सहायक अभियंता को उक्त परियोजना में प्राप्त कर रहे अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन के संरक्षण का लाभ वित्त विभाग/शासन की सहमति से प्रदान किया जायेगा। तत्क्रम में याचीगण के सम्बन्ध में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया गया और सम्यक विचारोपरान्त श्री एस0बी0 सिंह, सहायक अभियन्ता को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को, तत्समय लागू रूपये-2200-75-2800-द0रो0-100-4000 के वेतनमान में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-27 के अन्तर्गत वेतन संरक्षण का लाभ निम्नानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	परियोजना में धारित पद का वेतनमान	परियोजना में प्राप्त अन्तिम मूल वेतन	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परियोजना में अन्तिम आहरित वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन
1-	श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह	2200-4000	2650-00	01-02-1994	2650-00

5- उक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय आदेश संख्या-जी-2-131/दस-2016, दिनांक 8 अगस्त 2016 के प्रस्तर-4 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-87/2016/3837(1)/92-1-2016-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
10- श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर अंकन प्रति।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in